

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शारान विभाग, राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8(ग)(23)नियम/डीएलबी/19/32.42.5

दिनांक:-4.9.19

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी. बी. स्पेशल अपील रिट सं. 1648/18 बालाजी ट्रेड्स बनाम बालोतरा वाटर पोल्यूशन कन्ट्रोल ट्रीटमेन्ट एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट, बालोतरा व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.10.2018 के अध्यक्षीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/18/20224 दिनांक 04.10.2018, जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 15.10.2018 को प्रकाशित हुई है, को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(उज्ज्वल राठौड)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(23)नियम/डीएलबी/19/32.42.6-32.43.8
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:-04/09/2019

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
5. सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, राज. जयपुर।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर राज.
7. जिला कलक्टर, बाडमेर राजस्थान।
8. अध्यक्ष, जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन बालोतरा।
9. अध्यक्ष, बालोतरा ई.टी.पी.एसोसिएशन, बालोतरा जिला बाडमेर।।
10. आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा जिला बाडमेर राजस्थान।
11. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि राज. राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन कराया जाकर विभाग को 50 प्रति भिजवाने का श्रम करें।
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
13. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय गाथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी